शाला प्रबंधन समिति

शिक्षा के अधिकार का सपना तभी साकार हो सकता है, जब समुदाय इस हक को मान्यता देगा और शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी खुद संभालेगा। समुदाय मिलकर अपने गांव के स्कूल की व्यवस्था एवं सुविधाओं, स्कूल के खुलने एवं बंद होने के समय, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति में सुधार करके पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता है। इसी सोच के आधार पर शिक्षा के अधिकार कानून में शाला प्रबंधन समिति की व्यवस्था बनायी गयी है और उसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गयी है। शालाओं में गठित यह एक वैधानिक समिति है, जो शिक्षा व्यवस्था यानि स्कूल में समुदाय और पंचायत की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करती है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 (1) और नियम (संशोधन 2014) में नियम 12 के उपनियम 1 के अनुसार इस नियम के प्रकाशन के छ: माह के अंदर शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा और हर दो साल बाद इसका पुनर्गठन किया जायेगा।

सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में शाला प्रबंधन समिति की बहुत अहम भूमिका है। यह समिति समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को गांव स्तर पर मजबूत बनाने हेतु ठोस कदम उठा सकती है।

शाला प्रबंधन समिति का गठन

- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार नियम के अनुसार हर शाला में शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जायेगा।
- इस नियम के मुताबिक प्राथमिक शाला के लिए 18 सदस्य और माध्यमिक शाला के लिए 16 सदस्यों का चुनाव किया जायेगा।
- समिति में तीन चौथाई सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता या अभिभावक में से चुने जायेंगे।
- इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनग्राम के पट्टाधिकारी परिवार, वनाधिकार के अंतर्गत अधिकार प्राप्त परिवार, विकलांग बच्चे और कमजोर वर्ग के बच्चों के पालकों का प्रतिनिधित्व शाला में दर्ज बच्चों के अनुपात में होगा।
- दो सदस्य स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे यानि ग्राम पंचायत के पंच और नगरीय क्षेत्र में पार्षद सदस्य हो सकते हैं।
- शाला के प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे।
- समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी पर इससे अधिक भी हो सकती हैं।
- इस समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे जो समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने जायेंगे। इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से एक पद महिला के लिए होगा।
- समिति के सचिव स्कूल के प्रधान शिक्षक होंगे।

शाला प्रबंधन समिति की बैठक

शाला प्रबंधन समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है एवं यह महीने में कम से कम एक बार होती है। आपसी सहमति या जरूरत अनुसार विशेष बैठक बुलायी जा सकती है। समिति की बैठक का एजेंडा, दिन एवं समय समिति के सचिव द्वारा अध्यक्ष से परामर्श करके सदस्यों को भेजा जायेगा। समिति की बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, अध्यक्ष की अनुपस्थित में उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

- बैठक की प्रक्रिया इस तरह से हो कि सबका जुड़ाव बना रहे। सबसे पहले अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा का क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए।
- इसके बाद पिछली बैठक में हुए निर्णयों एवं उस पर हुई कार्रवाई को पढ़कर सुनाया जाए। जो काम नहीं हुए, उनकी स्थिति और पूरे न होने के कारण बताए जाएं। साथ ही अपूर्ण कामों पर पुन: निर्णय लिए जाएं।
- इसके बाद क्रमानुसार हर मुद्दे पर चर्चा की जाये एवं सबकी सहमति से निर्णय लिये जाएं, साथ ही निर्णयों पर अमल के लिए जिम्मेदारी, सहयोग एवं समय भी निर्धारित कर लिया जाना चाहिए।
- बैठक में सभी सदस्यों को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष सभी सदस्यों को बोलने के लिए प्रेरित करें एवं निर्णयों में उनकी राय लें।
- पढ़ाई की गुणवत्ता के वर्तमान स्तर एवं जरूरी सुधारों के लिए बैठक में जरूर चर्चा हो।
- बैठक के दौरान सचिव के पास समिति से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
- बैठक में हुई चर्चाओं एवं निर्णयों को सचिव द्वारा लिखा जाना चाहिए एवं बैठक के अंत में सभी सदस्यों को आज हुए निर्णयों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए।
- अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद के वाद बैठक की समाप्ति की घोषणा की जाना चाहिए। बैठक में उपस्थित सदस्यों को उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराया जाना चाहिए। समिति द्वारा लिए गए निर्णय और मीटिंग के कार्यवाही जनता के लिए उपलब्ध होंगे।

शाला प्रबंधन समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारियां

स्कूली शिक्षा को बेहतर करने में शिक्षक, समुदाय, और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। शिक्षक, समुदाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मिलकर गांव के स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं एवं स्कूल की सुविधाओं को बेहतर कर सकते हैं। शाला प्रबंधन समिति की मुख्य भूमिका शाला विकास की योजना बनाना है ताकि स्कूल की व्यवस्थाओं एवं पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आये। कुछ महत्वपूर्ण काम इस प्रकार हैं–

(1) विद्यालय के कामकाज की देखरेख एवं निगरानी (2) विद्यालय के लिए शाला विकास की योजना तैयार करना (3) सरकार से, शिक्षा विभाग से या अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान (आर्थिक सहयोग/वित्तीय संसाधन) एवं उसके उपयोग की देखरेख करना।

इन भूमिकाओं के निर्वहन के लिए समिति द्वारा अपने सदस्यों के बीच से छोटी-छोटी उप-समितियां भी बनाई जा सकेंगी एवं यह समितियां शाला के लिए निम्न काम कर सकती हैं-

- शाला के आसपास की सीमा में रह रहे जन समुदाय (लोगों) को अधिनियम में तय किए गए बच्चों के अधिकारों और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी यानि ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय, शाला एवं माता-पिता और अभिभावक के कर्तव्य के बारे में आसान और रचनात्मक तरीके से जानकारी देना।

समिति निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेगी कि -

- सभी शिक्षक नियमित और समय पर शाला में उपस्थित हों।
- माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें हों जिनमें कि हर बच्चे की शाला में उपस्थिति और नियमितता, उसके सीखने के स्तर, सीखने की प्रगति एवं अन्य बातों के बारे में माता-पिता और अभिभावकों को जानकारी दी जाए।
- कोई शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य न करे।
- समिति देखेगी कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए।
- समिति सुनिश्चित करेगी कि शाला के आसपास क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे (बालक-बालिका) शाला में दर्ज किए गए हैं और वे रोज शाला आ रहे हैं।
- अधिनियम में शाला हेतु तय किए गए मान और मानकों के रख-रखाव हेतु देखरेख।
- बच्चों के अधिकारों की निगरानी रखना - बच्चों के अधिकारों का किसी तरह से हनन होने पर जैसे- मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, शाला में प्रवेश देने से इंकार करना, या धारा 3 (2) में बताए अनुसार छात्र से किसी तरह का फीस, शुल्क, व्यय या प्रभार मांगे जाने पर यह समिति इस विषय मे स्थानीय प्राधिकारी यानि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम को इस बारे में जानकारी देगी।
- 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण, आवासीय या गैर आवासीय ब्रिज कोर्स में प्रवेश दिए जाने पर यह समिति उनकी जरूरतों को पहचानेगी, उसके अनुसार कार्ययोजना तैयार करेगी और क्रियान्वयन की देखरेख (मानीटरिंग) करेगी।
- समिति दिव्यांग बालक-बालिकाओं की पहचान कर उनका शाला में नामांकन कराएगी।
- यह समिति शाला में चलाए जा रहे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की देखरेख (मानीटरिंग) करेगी।
- यह समिति शाला को प्राप्त हुए धन एवं उसके व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करेगी।
- इसके अंतर्गत किसी भी शाला में दर्ज बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता और अतिरिक्त शिक्षकों की मांग, भौतिक अधोसंरचना जैसे अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, हर कक्षा के लिए सहायक शिक्षण सामग्री, खेल के सामान, एवं शाला की जरूरत के हिसाब से बजट का अनुमान भी शाला विकास योजना में किया जाएगा यह योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

शाला प्रबंधन समिति को कैसे प्रभावी बनायें?

केवल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार कानून बन जाने से हमारे बच्चों को अच्छी, सच्ची, गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता है। शिक्षा के अधिकार का यह सपना तभी पूरा होगा जब समुदाय शिक्षा व्यवस्था की निगरानी खुद करेगा।

समुदाय, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि एवं शिक्षकों के मिलेजुले प्रयास से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है।

- हमें यह देखना होगा कि शाला प्रबंधन समिति में कौन-कौन लोग सदस्य हैं एवं उनसे स्कूल एवं बच्चों की शिक्षा के बारे में राय जाने एवं बच्चों की शिक्षा के बारे में वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करें।
- सभी सदस्यों को समिति की बैठक में आमंत्रित करें एवं समिति में उनके उपस्थित रहने के महत्व पर चर्चा एवं प्रेरित करें।
- स्कूल के शिक्षक एवं समिति अध्यक्ष से बातचीत करके बैठक का समय सदस्यों के अनुरूप रखने के लिए अनुरोध करें।
- समिति में स्थानीय एनजीओ के सदस्यों एवं सक्रिय लोगों को भी समिति की सहमति से आमंत्रित करें ताकि उनके सुझाव एवं सहयोग मिल सकें।
- शाला प्रबंधन समिति को सुचारू ढंग से काम करने के लिए यह भी जरूरी होगा कि गांव स्तर पर एक सहयोगी समूह की मदद मिले। इस समूह में न केवल शाला प्रबंधन समिति के लोग हो सकते हैं बल्कि गांव के ऐसे सक्रिय लोग एवं युवा हो सकते हैं जो स्कूल को बच्चों के लिए ज्यादा सहज एवं बेहतर सीखने का केन्द्र बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समय-समय पर सहयोग लेकर स्कूल में समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल बनाया जा सकता है।

VIKAS SAMVAD

विकास संवाद, ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल. मध्यप्रदेश. भारत
फोन – 0755-4252789 / vikassamvad@gmail.com

इस अध्ययन सामग्री को संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है अधिक स्पष्टता या जानकारी हेतु नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की मूल प्रति एवं विभागीय निर्देश देखें।